



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-26112021-231400
CG-CG-E-26112021-231400

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4508]
No. 4508]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 26, 2021/अग्राहायण 5, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 26, 2021/AGRAHAYANA 5, 1943

रेल मंत्रालय
(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)
अधिसूचना

बिलासपुर, 24 नवम्बर, 2021

का.आ. 4876(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड (7अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से महाराष्ट्र राज्य में एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में वर्णित अधिकारी को विशेष रेल परियोजना राजनन्दगाँव — नागपुर तीसरी लाईन (228 किमी.) परियोजना के नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (3), (4) एवं (5) में उल्लेखित गाँव, तहसील एवं जिला से सम्बंधित इस तरह के कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत करती है।

सारणी

क्र. संख्या	सक्षम प्राधिकारी	गाँव	तहसील	जिला
1	2	3	4	5
1	उप विभागीय अधिकारी, गोंदिया	1. कुडवा 2. ढाकणी 3. पिंडकेपार 4. कारंजा	गोंदिया	गोंदिया

[फा. सं: सीई/सी/एन.जी.पी/आरजेएन-केएवी तीसरी लाईन/आरओआर/एसपीएल/आरएलवाइ प्रोजेक्ट]

आर. एन. सुनकर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

MINISTRY OF RAILWAYS
(South East Central Railway)

NOTIFICATION

Bilaspur, the 24th November, 2021

S.O. 4876(E).— In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the table below as the “Competent Authority” to perform the functions of such authority under the said Act in respect of the special Railway project of “Rajnandgaon-Nagpur 3rd Line (228 KM.) Project” relating to Villages, Taluka and District Mentioned in Column (3), (4) and (5) of the table below in the State of Maharashtra with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE

Sr. No.	Competent Authority	Village	Taluka	District
1	2	3	4	5
1	Sub Divisional Officer, Gondia	1. Kudwa 2. Dhakni 3. Pindkepar 4. Karanja	Gondia	Gondia

[F. No. CE/C/NGP/RJN-KAV 3rd line/ROR/SPL/RLY Project]

R. N. SUNKAR, Chief Administrative Officer (Con.)